न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–भिण्ड

निगरानी - 3200/2018/भिण्ड/रा०रा०

नाथूराम पुत्र श्री बद्री बघेल
निवासी– ग्राम कुटरौली तहसील गोरमी जिला – भिण्ड (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

1 रामचन्द्र दत्तक पुत्र नबाव बघेल

2 लाखन सिंह पुत्र श्री शोभाराम
निवासीगण– ग्राम कुटरौली तहसील गोरमी जिला – भिण्ड (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव द्वारा प्रकरण क्रमांक 70/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, मौजा कुटरौली तहसील गोरमी जिला भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे नं. 354 रकवा 0.21, 428 रकवा 0.24, 583 रकवा 0.86, 586 रकवा 0.22, 587 रकवा 0.18, 596 रकवा 2.13, 597 रकवा 1.50 कुल किता 7 कुल रकवा 6.96 है0 एवं सर्वे नं. 590 रकवा 1.15 का बंटवारा कराये जाने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र नाथू सिंह द्वारा तहसीलदार गोरमी के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि का बंटवारा उभय पक्षो के मध्य किया जाये।

2 यहकि, आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को तहसीलदार गोरमी द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–27/2016–17 पर पंजीबद्ध कर अपने पारित आदेश दिनांक 09.03.2018 से उभय पक्षो के मध्य भूमि का बंटवारा किये जाने का आदेश पारित किया।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3200/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/06/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 9 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर सभी आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तर्क श्रवण किए जाकर आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	